ISBN: 978-81-974088-0-9

4. वर्तमान समाज एवं दिव्यांग बालक की समस्याएं एवं समाधान

डॉ. निधि सिंघल

सहायक प्राध्यापक,
शांभवी स्कूल ऑफ़ एजूकेशन,
धुसेरा, अभनपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़.

प्रस्तावना:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांग बालकों की आवश्यकतानुसार उन्हें शिक्षण /प्रशिक्षण के माध्यम से स्वावलंबी बनाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है ताकि सभी के लिए एक समावेशी समाज की परिकल्पना को क्रियान्वित किया जा सके। दिव्यांग जनों की संख्या तथा दिव्यांगता के प्रकार में हो रही वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार ने इनके निराकरण के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनाई हैं। पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के अभाव में दिव्यांगों को जीवन जीने में अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है इससे दिव्यांगता एक बड़ी सामाजिक चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रही है।दिव्यांगता जन्मजात हो सकती है या चोट या अन्य कारणों से भी हो सकती है ।यह दिव्यांग बालक, उसके माता-पिता या अन्य संबंधित लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। यह बालक के विकास को रोककर उसे असमर्थ तथा असहाय बना देती है ,इससे बालक में कुंठा या हताशा पैदा हो जाती है । वे अपनी दिव्यांगता या समाज के व्यवहार या फिर दोनों ही के कारण चिंता ,भय ,अकेलापन और दुर्घटनाओं का सामना करते रहते हैं। इसका परिणाम उस दिव्यांग के सामाजिक जगत से अलगाव, कुसमायोजन और असहभागिता के रूप में निकलता है। जब दिव्यांग व्यक्ति का परिवेश पक्षपात पूर्ण, विरोधी एवं उदासीन हो तो यह सारी परिस्थितियाँ मिलकर उस व्यक्ति में प्रायः पलायन या विनिवर्तन जैसे व्यवहार को जन्म देती हैं।

दिव्यांगता विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है।दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिसंबर को 'विश्व दिव्यांग दिवस' के रूप में घोषित किया गया है। यह दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन के हर पहलू चाहे वह राजनीतिक ,सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो उनके अधिकारों और हितों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करता है।

दिव्यांग - कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से 40% तक सामान्य ना होकर न्यूनाधिक अक्षम है उसे 'दिव्यांग' कहा जाता है। दिव्यांग को पहले विकलांग कहा जाता था परंतु वर्ष 2015 में इसका नाम दिव्यांग कर दिया गया। वह बालक जो सामान्य बालकों की भांति विभिन्न क्रियाएं करने में असमर्थ होता है तथा जिसमें शारीरिक दोष पाए जाते हैं '"दिव्यांग बालक" कहलाता है।।

भारत में दिव्यांगता की श्रेणियां-

1981 की जनगणना में 3 प्रकार की, 2001 में 5 प्रकार की और 2011 में 7 प्रकार की निर्योग्यताओं को दिव्यांगता का आधार माना गया।सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 के अनुसार भारत में पूर्व वर्गीकृत दिव्यांग श्रेणियों के 7 प्रकार को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। जो

निम्न है -

1. दृष्टिहीनता
2. निम्न-दृष्टि / अल्प दृष्टि (लो विज़न)
3. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति
4. श्रवणबाधित (बहरापन)
5. चलन-सम्बन्धी विकलांगता (लोकोमोटर विकलांगता)
6. बौनापन
7. बौद्धिक विकलांगता
8. मानसिक रोग

9. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
10. 10 सेरिब्रल पाल्सी
11. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
12. पुरानी तंत्रिका सम्बन्धी स्थितियाँ
13. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी
14. मल्टीपल स्क्लेरोसिस
15. वाणी और भाषा-सम्बन्धी विकलांगता
16. थैलेसीमिया
17. हीमोफ़ीलिया
18. सिकल सेल रोग
19. बहु-विकलांगता (बहरेपन-दृष्टिहीनता सहित)
20. तेज़ाब हमले से प्रभावित व्यक्ति
21. पार्किन्संस रोग

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बालकों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में भी विकलांगों के प्रतिशत को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।

उपरोक्त अधिनियम United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) के कानून के अनुसार पारित किया गया है ।

भारत भी इस कानून का हस्ताक्षरकर्ता देश है|

दिव्यांग बालकों की समस्याएं-

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वे सभी तथ्य जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न करती है, दिव्यांगजनों की समस्याओं से जुड़े होते हैं।

दिव्यांग बालकों की समस्याएं कुछ इस प्रकार हैं

- **शिक्षा की समस्या-** दिव्यांग बालकों की यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। शारीरिक दिव्यांग बच्चे तो कुछ सीमा तक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं परंतु मानसिक दिव्यांग बौद्धिक विकास न होने के कारण सही समय पर सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते ।इसी आबादी के 45% लोग निरक्षर हैं, हालांकि भारत सरकार द्वारा विकलांग समस्याओं से जुड़े राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है किंतु अभी भी व्यापक स्तर पर कार्य किया जाना शेष है।
- **रोजगार की समस्या-** दिव्यांगों की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या रोजगार की समस्या है ।भारत सरकार द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है परंतु वर्तमान में इनमें से अधिकांश पद खाली है। उचित शिक्षा प्राप्त न कर पाने के कारण बड़ी संख्या में दिव्यांग बेरोजगार रह जाते हैं और वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं और मूल आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़कर 4% कर दिया है।
- **हीन-भावना की समस्या-** शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग होने के कारण बालक समाज के अन्य सदस्यों के साथ सही से समायोजन नहीं कर पाता और न ही समाज के व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ सही व्यवहार करते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग दिव्यांग को 'सहानुभूति" और 'दया" की नजर से देखता है जिससे दिव्यांगों के मन में हीन-भावना जन्म लेती है लेकिन राष्ट्रीय -अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रों में दिव्यांगों के बढ़ते आत्मविश्वास ने हीन भावना को कम किया है।
- **सामाजिक समायोजन की समस्या-** दिव्यांगों का सामान्य बच्चों के साथ सामाजिक समायोजन नहीं हो पाता जिससे उनके माता-पिता व बच्चों दोनों को ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- **आश्रितता की समस्या-** समाज का एक बड़ा वर्ग दिव्यांग बालकों को एक दायित्व या बोझ के रूप में देखता है क्योंकि दिव्यांग अपनी शारीरिक व मानसिक विकृतियों के कारण अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जिस कारण वह अपने

विभिन्न कार्यों का संपादन भली-भांति नहीं कर पाते। इससे उनके मन में अवसाद व निराशा का जन्म होता है।

- **गरीबी की समस्या-** गरीब परिवारों में गर्भवती स्त्री की आवश्यक देखभाल नहीं हो पाती। इसके कारण उन्हें चिकित्सकीय जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में इन कमियों के कारण बच्चे जन्मजात दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं। दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनका जन्म गरीब परिवारों में हुआ है ,इस तथ्य की पुष्टि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े भी करते हैं ।इसके अनुसार देश में दिव्यांग लोगों की कुल आबादी के 69% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- **अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं-** भारत सरकार द्वारा सुगम्य वातावरण भारत अभियान (Accessible India Campaign) के तहत सभी मंत्रालय को दिव्यांगों के लिए अपने भवनों /इमारत को सुलभ बनाने के निर्देश दिए जाने के बाद भी वर्तमान में अधिकांश भवन दिव्यांगों के अनुकूल नहीं है। सार्वजनिक स्थानों , परिवहन और इमारतों तक पहुंच दिव्यांगों के लिए एक सतत चुनौती बनी हुई है।हमारे फोन, परिवहन सुविधा, बैंक प्रणाली और यहां तक की लिफ्ट आदि सभी साधन ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी दिव्यांग स्वतंत्र रूप से यानी किसी दूसरे की सहायता के बिना उनका उपयोग नहीं कर सकता।
- **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं-** दिव्यांगों को अधिकतर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती है या अधिक जोखिम होता है, जिन्हें रोका जा सकता है। किसी विशिष्ट प्रकार की दिव्यांगता के परिणामस्वरूप, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में चोट, स्पाइना बिफिडा या मल्टीपल स्केलेरोसिस, अन्य शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद संबंधी समस्या-** दिव्यांगों में तनाव और अवसाद की दर गैर दिव्यांगों की तुलना में अधिक होती है।
- **संवेगात्मक समस्याएं-** कभी-कभी माता-पिता भी अपने दिव्यांग बालक के दोषों को छुपाने का प्रयास करते हैं वह अपने बच्चों को दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार से दूर रखना चाहते हैं या फिर वे स्वयं भी अपनी विकृत संतान से शर्मिंदा होते हैं ।जिससे बालक में प्रायः संवेगात्मक क्षोभ पैदा होता है। जैसे दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी दृष्टिहीनता से उतना पीड़ित नहीं होता जितना कि अपने प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण से।

- **संप्रेषण की समस्या-** श्रवण दिव्यांगों में संप्रेषण की मुख्य समस्या पाई जाती है जिसके परिणाम स्वरूप इनमें समाजीकरण अर्थात मिलनसारिता और अनुशासन की समस्या उत्पन्न होती है ।ऐसे बालक ना तो अध्यापक की बात समझ पाते हैं और न हीं अपनी बात उन्हें समझा पाते हैं इसलिए उनमें हताशा उत्पन्न होती है।

समाधान -

दिव्यांग बालकों की समस्याओं के लिए कुछ समाधान निम्न प्रकार से हैं-

- दृष्टिहीन लोगों की सुविधा के लिए लिफ्ट के बटनों पर ब्रेल लिपि अंकित होनी चाहिए।
- सार्वजनिक बसों में नीची की जा सकने वाली सीढ़ियां होनी चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति पहिए वाली कुर्सी पर बैठे-बैठे ही बस में प्रवेश पा सके।
- श्रवण दोष वाले व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकार के टेलीफोन उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- भोजनालयों और अल्पाहार गृहों में व्यंजन सूची की कुछ प्रतिया ब्रेल लिपि में होनी चाहिए ।उनके लिए चमकीली बत्तियों और अलार्म की सुविधा भी की जानी चाहिए।
- दिव्यांग बालकों को निराशा या परास्त हुए बिना अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- दिव्यांग बालकों को खेल ,वार्ता और स्वतंत्र कल्पना के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए क्योंकि खेल समाजीकरण के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है।
- दिव्यांग बालकों में आत्मनिर्भरता और आत्म -संप्रत्यय बढ़ाने के लिए लोगों का उनके प्रति दृष्टिकोण पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए।
- दिव्यांग बालकों के माता-पिता /अभिभावकों और अध्यापकों को चाहिए कि वह उनकी लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें जिससे ऐसे बालक भी सृजनशील बन सके।
- माता- पिता को बालक की दिव्यांगता को स्वीकार करना चाहिए ।कई बार माता-पिता बाधित बच्चों को स्वीकार नहीं करते या फिर उनके प्रति अधिक सहानुभूति

प्रकट करते हैं ।बालक के समग्र व्यक्तित्व के विकास पर अस्वीकरण और अतिरक्षण दोनों का ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- दिव्यांग बालकों में मिलनसारिता की भावना का विकास करने के लिए सामाजिक कार्यकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- दिव्यांग बालकों की संवेगात्मक /भावात्मक समस्याओं के समाधान के लिए दंड या बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उन्हें उनके शारीरिक विकास के लिए आवश्यक सहायक जानकारी मिल सके।
- दिव्यांग बालकों के स्वस्थ सामाजिक और संवेगात्मक विकास के लिए उन्हें संवेगात्मक रुप से संतुलित और स्थाई पारिवारिक परिवेश प्रदान किया जाना चाहिए
- दिव्यांग बालक की वास्तविक समस्याओं को समझने में उनकी सहायता करनी चाहिए तथा उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए ।
- अवकाश की अवधि में दिव्यांग बालकों को अन्य रचनात्मक कार्य में संलग्न करने के लिए अभिभावको को इन कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था में सभी बच्चों की स्क्रीनिंग या परीक्षण किया जाना चाहिए जिससे बालको की कमियों की आरंभ में ही पहचान हो जाएगी और राज्य पर भी निशक्तता का बोझ कम होगा।
- गर्भवती माता की देखभाल के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
- फिल्मों में दिव्यांग जनों का सकारात्मक प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए जिससे उनसे संबंधित मुद्दों पर समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाया जा सके।
- भारत में मतदान प्रक्रिया के समय बेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।
- दिव्यांग बालकों के लिए विशेष विद्यालयों, विद्यालयों तक पहुंच, प्रशिक्षित शिक्षकों तथा शैक्षिक सामग्री की सुलभ उपलब्धता होनी चाहिए।

भारत में दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न परिषद् एवं संगठन-

- **भारतीय पुनर्वास परिषद्-** पुनर्वास परिषद् को एक पंजीकृत समिति के रूप में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद्

अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद् एक संवैधानिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आया ।इस अधिनियम का वर्ष 2000 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद को नीतियों व कार्यक्रमों को विनियमित करने तथा दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया।

- **राष्ट्रीय विकलांग जन वित्त एवं विकास निगम-** इसकी स्थापना वर्ष 1997 में दिव्यांगों के लाभ हेतु आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों और स्वरोजगार के संवर्धन के लिए की गई थी ।यह दिव्यांगों को रियायती दर पर ऋण प्रदान करता है जिससे वे व्यावसायिक/ तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर व्यावसायिक पुनर्वास या स्वरोजगार हेतु सक्षम हो सके ।यह संस्था स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों को भी सहायता प्रदान करती है ,जिससे वह अपने उत्पादों का विपणन कर सकें।
- **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO/अल्मिको) -** यह भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो दिव्यांगो को सशक्त करने तथा उन्हें आत्म सम्मान दिलाने के लिए कम मूल्य पर आई एस आई मार्क वाले कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना १९७२ में की गयी थी। इसका मुख्यालय कानपुर में है ।

दिव्यांगता संबंधी राष्ट्रीय संस्थान-

दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है ।यह विशिष्ट प्रकार की दिव्यांगताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह संस्थान मुख्य रूप से विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करके, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करके और दिव्यांगता के विशेष क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं ।भारत में 9 राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली
2. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), ओलतपुर,कटक
3. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून

4. अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई
5. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान - (एनआईएमएचआर), सीहोर
6. भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली
7. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी)" हुगली, कोलकाता
8. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद
9. राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), चेन्नई

दिव्यांगजनो के कल्याणार्थ संचालित कार्यक्रम-

1. कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु अनुदान योजना- सहायक उपकरण योजना के तहत कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति को कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण जैसे- ट्राई साइकिल, वैसाखी, व्हीलचेयर, कान की मशीन, वाकर, कैलिपर्स, आर्टिफिशियल हाथ-पैर आदि निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

2. दिव्यांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृति योजना - दिव्यांग बालक आर्थिक विषमताओं के कारण शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनका जीवनयापन स्वावलम्बी नहीं बन पाता है।

भारत सरकार ऐसे विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है ताकि स्कूल के बाद के स्तर पर पढ़ाई में उन्हें मदद मिल सके। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है।

3. विकलांगता प्रमाणपत्र - भारत सरकार ने विकलांगता के मूल्यांकन व प्रमाणपत्र के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत विकलांग व्यक्ति को कम से कम समय में बिना किसी परेशानी के विकलांगता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है विकलांगता प्रमाण पत्र से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं-

- विकलांग छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति कार्यक्रम।
- आयकर में कमी।
- रियायती ट्रेन टिकट।
- सरकारी नौकरी में आरक्षण।
- नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण विकल्प।
- सार्वजनिक परिवहन पर निःशुल्क यात्रा।
- सहायक उपकरणों और प्रोस्थेटिक एड्स के लिए सब्सिडी वाली पहुंच।

4. सरकारी नौकरी में आरक्षण- विकलांगता (समान अवसर, अधिकार सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के तहत भारत सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस नीति के तहत, ग्रुप ए, बी, सी एवं डी की सभी नौकरियों, जिनके लिए सीधी भर्ती आयोजित की जाती है, में दिव्यांगों के लिए 3% का आरक्षण निर्धारित है।

5. स्वरोजगार के अवसर- व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रबंधन प्रशिक्षण के द्वारा एनएचएफडीसी से आसानी से ऋण मुहैय्या कराने की पहल की गई है। सरकार द्वारा कर छूट, ड्यूटी से छूट, विकलांगों के लिए सेवा देने वाले तथा सामान बनाने वाले उपक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।

6. निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर- निजी क्षेत्र में दिव्यांगों को रोजगार के लिए सक्षम बनाने के लिए उनकी योग्यता का विकास किया जा रहा है इसके लिए व्यावसायिक पुनर्वास तथा प्रशिक्षण केंद्र को संचालित किया जा रहा है ।सेवा क्षेत्र में रोजगार अवसरों के तीव्र विकास को देखते हुए वर्तमान समय की जरूरतों के मुताबिक दिव्यांग में योग्यता निर्माण के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है ।इनसेंटिव, पुरस्कार, कर में छूट इत्यादि उपायों द्वारा निजी क्षेत्रों में दिव्यांगो को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

7. सामाजिक सुरक्षा- सरकार द्वारा दिव्यांगों को बेरोजगार भत्ता या विकलांगता पेंशन प्रदान की जा रही है। जिससे दिव्यांग उनके परिवार तथा उनकी देखभाल करने वालों को पर्याप्त सहायता राशि मिल सके। जिसके द्वारा वे दैनिक कार्यों, मेडिकल देखभाल, परिवहन, सहायक उपकरणों को खरीद सकें। केंद्र सरकार द्वारा

दिव्यांग व्यक्तियों व उनके अभिभावकों को करों में छूट देकर व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

8. अभिभावकत्व योजना- ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी, मानसिक मंद तथा बहु-विकलांगता के शिकार बच्चों के माता-पिता अपनी मृत्यु के बाद ऐसे बच्चों की देखभाल को लेकर काफी चिंतित रहते हैं इसके लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, स्थानीय स्तर की समिति द्वारा कानूनी अभिभावकत्व प्रदान करता है। वे सहायता प्राप्त अभिभावकत्व योजना का भी क्रियान्वयन कर रहे हैं, ताकि दरिद्र तथा परित्यक्त व्यक्ति जिनमें गंभीर दिव्यांगता हो, उनकी वित्तीय मदद की जा सके। यह योजना कुछ जिलों में लागू की जा रही है।

9. गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को प्रोत्साहन- गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) सरकार के प्रयासों को लागू करने का एक सस्ता और महत्वपूर्ण माध्यम है विकलांग व्यक्ति को सेवा प्रदान करने में इसने एक अहम भूमिका निभाई है। सरकार भी इनको सक्रिय रूप से नीति के सूत्रीकरण, योजना, क्रियान्वयन, निगरानी में शामिल करके विकलांगता से जुड़े कई मुद्दे पर उनसे परामर्श प्राप्त कर रही है।

10. अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देकर- विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा तथा सांस्कृतिक संदर्भ, विकलांगता के कारण, आरंभिक बाल शिक्षा विधि, और विकलांगता से जुड़े सभी मामलों पर अनुसंधान कार्य किए जाने चाहिए इससे उनकी चिंताओं के प्रति समाज की प्रतिक्रिया में सुधार होगा। लेकिन दिव्यांग के ऊपर अनुसंधान कार्य करने से पहले उनके माता-पिता या अभिभावक से इसकी अनुमति अवश्य लेनी चाहिए।

निष्कर्ष -

वास्तव में किसी दिव्यांग की अंग- हीनता उस की क्षमता को विकसित करने में बाधक नहीं होती ।समस्या तब आरंभ होती हैं जो कोई दिव्यांग अपनी अक्षमता को अपने जीवन के लिए असहायपन की स्थिति का परिचायक मानने लगता हैं और उस की यह धारणा समाज की ओर से भी परिपुष्ट होने लगती है।अपनी अक्षमता के बारे में परिवार, समाज की गलत प्रतिक्रियाओं के कारण ही कई प्रकार की

समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः दिव्यांग बालकों के बहुमुखी शैक्षणिक विकास हेतु सक्रिय कार्य योजना प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

इसके लिए भारत में सर्वप्रथम दिव्यांग बालकों का सर्वेक्षण कराया जाए तथा उनकी सही संख्या का पता लगा के उनके लिए समुचित शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए ।भारत में एक अच्छी संस्कृति तभी विकसित हो सकती है जब बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय दिव्यांग बालकों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ-

1. सिंह, आर. एन. आधुनिक विकासात्मक मनोविज्ञान. अग्रवाल पब्लिकेशंस आगरा.नवीन संस्करण.
2. मंगल, एस. के. (2012) शिक्षा मनोविज्ञान .पी एच आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड. नई दिल्ली.पृष्ठ - 509
3. https://tinyurl.com/y6sy4h7w
4. www.drishtiias.com
5. www.egyankosh.ac.in
6. https://sw.cg.gov.in/disabled-welfare
7. https://tinyurl.com/bfdvukmz
8. https://dge.gov.in/dge/
9. https://viklangta.com/